

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



स्वायत्त उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - करजासी

धारा अन्तर्गत - 136 प्रसं 568/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	ज्ञान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	करजासी	70	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पत्रावली पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम करजासी प.ह. करजासी में वर्तमान प्रविष्टी स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल करजासी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करजासी जिला-चितौड़गढ

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन (उपखण्ड अधिकारी)  
तहसीलदार(भू.अ.) कपासन